



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269394
CG-DL-E-16012026-269394

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2026/पौष 26, 1947

No. 217]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2026/PAUSAH 26, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2026

का.आ. 239(अ).—भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझते हुए, एतद्वारा भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी मशीनरी और विद्युत उपकरण सुरक्षा (सर्वव्यापी तकनीकी विनियमन) आदेश, 2024 से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 3649(अ), दिनांक 28 अगस्त, 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. 9/28/2019-एचई एंड एमटी]

विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

ORDER

New Delhi, the 14th January, 2026

S.O. 239(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Heavy industries issued vide number S.O. 3649(E), dated the 28th August, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) relating to the Machinery and Electrical Equipment Safety (Omnibus Technical Regulation) Order, 2024, with immediate effect.

[F. No. 9/28/2019-HE&MT]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.